रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 969] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 1, 2017/अग्रहायण 10, 1939
No. 969] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 1, 2017/AGRAHAYANA 10, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 1472(अ).—केंद्रीय सरकार पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेटेंट नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेटेंट (संशोधन) नियम, 2017 है।

   (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पेटेंट नियम, 2003 के नियम 2 के अधीन उप-नियम(च ख) (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) में स्टार्टअप की परिभाषा के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,-

(i) "स्टार्टअप" मे अभिप्रेत है

(क) स्टार्टअप इंडिया पहल के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक स्टार्टअप के रूप में भारत में मान्यताप्राप्त कोई संस्था;

(ख) विदेशी संस्था के मामले में, स्टार्टअप इंडिया पहल के अनुसार व्यापारावर्त तथा निगमन/रजिस्ट्रीकरण की अवधि संबंधी मानदंडों को पूरा करने वाली तथा इस आशय से संबंधित घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने वाली संस्था।

स्पष्टीकरण : व्यापारावर्त की गणना में, भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा संबंधी संदर्भ दरें लागू होंगी।

[फा. सं. 14(03)/2014-आईपीआर-III– खंड-II]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 493(अ), तारीख 2 मई, 2003 द्वारा प्रकाशित तथा तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं के द्वारा संशोधित किए गए थे:—

(i) का.आ. 1418(अ), तारीख 28 दिसम्बर, 2004;

(ii) का.आ. 637(अ), तारीख 05 मई, 2006;

(iii) का.आ. 2296(अ), तारीख 25 सितम्बर, 2012;

(iv) का.आ. 1029(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2013;

(v) सा.का.नि. 125(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014; और

(vi) सा.का.नि. 523(अ), तारीख 16 मई, 2016;

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2017

G.S.R. 1472(E).—In exercise of the powers conferred by section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Patents Rules, 2003, namely:—

1. (1) These rules may be called the Patents (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Sub rule(fb) under rule 2 of the Patents Rules, 2003 (hereinafter referred to as the principal rules) the definition of Startup is substituted as,-

(i) "Startup" means

(a) an entity in India recognised as a startup by the competent authority under Startup India initiative,

(b) In case of a foreign entity, an entity fulfilling the criteria for turnover and period of incorporation/ registration as per Startup India Initiative and submitting declaration to that effect.

Explanation: In calculating the turnover, reference rates of foreign currency of Reserve Bank of India shall prevail.

[F. No. 14(03)/2014-IPR-III-Vol.II]

RAJIV AGGARWAL, Jt. Secy.

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) *vide* S.O. 493(E), dated the 2nd May, 2003 and subsequently amended *vide* notification number:—

(i) S.O. 1418(E), dated the 28th December, 2004;

(ii) S.O. 637(E), dated the 5th May, 2006;

(iii) S.O. 2296(E), dated the 25th September, 2012;

(iv) S.O. 1029(E), dated the 23rd April, 2013;

(v) G.S.R. 125(E), dated the 28th February, 2014; and

(vi) G.S.R. 523(E), dated the 16th May, 2016;

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.12.02 09:58:42 +05'30'